17

राजस्थान–सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ4(ई)(1) {6} संविदा {पे–पेंशन} /अलेसे–III/1266–675 दिनांक 09.02.2012

आदेश संख्या 253/2011–12

वित्त {राजस्व} विभाग के आदेश क्रमांक प02 {16} वित्त /राजस्व /2008 दि0 18.01.2011, के अनुसरण में विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों {शिक्षा, चिकित्सा, कोष एवं लेखा तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग} एवं क्रिटीकल जिलों {डूंगरपुर, बांसवाडा, प्रतापगढ, राजसमन्द, झालावाड, जैसलमेर, बाडमेर, जालौर एवं सिरोही } में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के रिक्त पदों पर पूर्णतः अस्थायी आधार पर सेवा निवृत सहायक लेखाधिकारी, लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार को संविदा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस निदेशालय की समसंख्यक विज्ञप्ति क्रमांक 13166 दिनांक 31.01.2011 द्वारा राज्य के प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर ,राष्ट्रदूत एवं इस निदेशालय की वेबसाईट पर प्रकाशन किया गया । उपर्युक्त विज्ञप्ति के संदर्भ में प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच के उपरान्त योग्य पाये गये सेवानिवृत्त कार्मिकों को वित्त {राजस्व} विभाग के पत्र क्रमांक प02 {16} वित्त/राजस्व /2008 /पार्ट दिनांक 27.04.2011 एवं 31.012012 के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने पर निम्न विवरणानुसार एवं शर्तो के अध्यधीन पूर्णतः अस्थायी आधार पर संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

क्र. सं.	नाम सर्वश्री	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद	जन्मतिथि	65 वर्ष की आयु प्राप्त होने का दिनांक	पदस्थापन विभाग/ कार्यालय का नाम	पद जिसके विरूद्व पदस्थापन किया गया है ।	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	टीकमचन्द्र जैन	Actt.	10-08-1951	09-08-2016	पंचायत समिति, माण्डल (भीलवाडा)	Actt.	रिक्त पद पर
2.	बिशनलाल	Actt.	27-06-1951	26-06-2016	ब्लॉक प्रा.शि. अधिकारी पिड़ावा (झालावाड़ा)	Jr.Actt.	रिक्त पद पर
3.	रफीक मोहम्मद खान	Jr. Actt.	08-09-1951	07-09-2016	कोषालय बांसवाड़ा	Jr.Actt.	रिक्त पद पर

उपर्युक्त नियुक्तियॉ निम्नांकित शर्तो के अध्ययधीन होगी :–

1. संविदा कर्मचारी को संविदा उप मद के अन्तर्गत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प0 2 {16}वित्त/राजस्व/2008/दिनांक 18.01.2011 के अनुसरण में राजस्थान सिविल सेवा {पेंशन} नियम 1996 के नियम 152 {बी} –2 के अनुसार पे {–} पेंशन के आधार पर मासिक पारिश्रमिक देय होगा लेकिन जो राशि पारिश्रमिक इस आधार पर आयेगी वह नियत रहेगी उसमें आगामी वर्षो में किसी भी प्रकार की बढोतरी नहीं की जावेगी ।
2. संविदात्मक नियुक्ति 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो प्रभावी रहेगी ।
3. यह है कि संतोष जनक सेवा नहीं पाये जाने पर एवं अन्य प्रशासनिक कारणों के आधार पर 15 दिवस के नोटिस के आधार पर सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है ।
4. यह व्यवस्था पूर्णतया अस्थाई रूप से अनुबन्ध के आधार पर होगी तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से अथवा अन्य प्रकार से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर तत्काल प्रभाव से सेवाएं समाप्त की जा सकेगी ।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष /कार्यालयाध्यक्ष उनके अधीन नियुक्त सेवानिवृत्त संविदा कर्मचारी से पद पे एवं ग्रेड पे व पेंशन भुगतान आदेश के संबंध में प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त करने के पश्चात् ही समेकित पारिश्रमिक का निर्धारण कर भुगतान की कार्यवाही करेगें।
6. अनुबन्ध पर नियुक्त सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण करने से पूर्व 100 रूपये के नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प पेपर पर संलग्न एनेक्चर बी के अनुसार अनुबन्ध पत्र सम्पादित करना होगा एवं राज्य सरकार की ओर से संबंधित विभागाध्यक्ष /कार्यालयाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगें ।

7 सेवानिवृत्त संविदा कर्मचारी द्वारा 15 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति समेकित पारिश्रमिक के लिए नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेगें ।

8 प्रत्येक दिन की अनुपस्थिति पर 1/30 दिन का पारिश्रमिक काटा जावेगा ।

9 एक कलेण्डर वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश देये होगे, किन्तु प्रथम 6 माह में 5 आकस्मिक अवका देय होगे । इसके अलावा किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा ।

संलग्नः— अनुबन्ध का प्रारूप

निदेशक

क्रमांकः—एफ4(ई)(1) {6} संविदा {पे—पेंशन} /अलसे—III/12660-675 दिनांकः— 05.02.2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. जिला कलक्टर , भीलवाडा, झालावाड, बांसवाडा
2. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष...को भेजकर लेख है कि सेवानिवृत कर्मचारी की कार्यग्रहण करने से पूर्व उक्त आदेश संख्या के बिन्दु सं 5 " के अनुसार सेवानिवृत कर्मचारी के मूल दस्तावेजों यथा पी0पी0ओ0, एल0पी0सी0 , इत्यादि की जॉच करने के उपरांत कार्यग्रहण से पूर्व बिन्दु संख्या 6 के अनुसार अनुबध सम्पादित करावेगें ।
3. संयुक्त निदेशक {कोष एवं बजट} / कार्मिक—I {अलसे—I / II} कार्या0 हाजा
4. कोषाधिकारी. ....
5. श्री ....पता...
6. निजी सहायक निदेशक महोदय
7. विशेषाधिकारी कम्प्यूटर शाखा {विबसाईट हेतु }
8. निजी पत्रावली / रक्षित पंजिका / पदस्थापन सीट

संयुक्त निदेशक {कार्मिक—II}